न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 28/2016/टीए

नन्दा पिता भागू उर्फ भागलिया गाडरी
निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. नारायण पिता किशना गाडरी
2. भेरू पिता किशना गाडरी
3. लेहरी पत्नि किशना गाडरी
4. जयचन्द पिता भेरा तेली
   सभी निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
5. राज्य जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
दिनांक 27.04.2016 प्रकरण सं. 11/2012

उपस्थित – 1. श्री दिनेश दायमा – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री शिवनारायण जाट – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट – 1 से 4

निर्णय दिनांक– 09.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय मे वादपत्र खातेदारी घोषणा एवं अवैध शून्य निष्प्रभावी घोषित करने विक्रयपत्र हेतु वादपत्र मय स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष का पेश किया। वादपत्र के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र भी पेश किया गया जिसे प्रथम दृष्टया सही मानकर प्रथम सुनवाई को अंतरिम निषेधाज्ञा प्रचलित की गयी लेकिन बाद सुनवाई आवेदन पत्र को क्षैत्राधिकार से बाहर का व विक्रय पत्र पंजीयन के पश्चात् दायन करने के पश्चात् प्रथम दृष्टया मानकर प्रमाणित नही मानकर आवेदन पत्र खारीज कर दिया जिससे असंतुष्ट होकर उक्त अपील प्रस्तुत की है।

2. रालस्व अभिलेख के अनुसार यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित था कि मण्डफिया मे स्थित आराजी नम्बर 120 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा स्थित है इसमे अपीलार्थी के पिता भागु उर्फ भगलिया का 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता किशना का 1/3 हिस्सा तथा 1/3 हिस्सा बरजीबाई पत्नि गोटिया गाडरी का दर्ज रेकार्ड चला आ रहा था। इसमे से बरजीबाई द्वारा अपीलार्थी के पक्ष मे अपना 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड

वसीयतनामा दिनांक 11/09/1995 को तकमील पंजीयन अपीलार्थी के पक्ष मे करा दिया जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 953 निर्णित होकर अपीलार्थीगण दिनांक 15/08/1999 से 2/3 हक हिस्से का खातेदार बना तथा रेस्पोडेन्ट 1 से 3 हक के हिस्से के खातेदार दर्ज हुए उक्त सभी कथन दस्तावेजो से प्रमाणित होते हुए भी अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन पत्र को निरस्त करने मे वैधानिक त्रुटि की हैं। रेस्पोडेन्टस की ओर से क्षैत्राधिकार के बिन्दू पर दिनांक 23/02/2012 को आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत आवेदन पत्र पेश किया गया जिसे बाद सुनवाई दिनांक 17/05/2013 को आवेदन पत्र रेस्पोडेन्टस सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार वाला खारीज हो चुका था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय उसी क्षैत्राधिकार के आधाार पर बिन्दू पर पुनः मूल प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0 टिनेन्सी एक्ट का खारीज करने मे वैधानिक त्रुटि की है। ररेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पक्ष मे किया गया विक्रय पत्र दिनांक 13/01/2012 मे विवादित कृषि भूमि आराजी नम्बर 120 मे अंकित अपना 1/3 हिस्सा ही विक्रय करने के अधिकारी थे लेकिन अपने निहित हिस्से से अधिक अपीलार्थीगण का हिस्सा भी जानबुझकर विक्रय कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 का उक्त कृत्य दण्डनीय अपराध की श्रेणी मे आता है तथा उनके द्वारा किया गया विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही (वोईड एब ईनिशियो सेल डीड) शून्य दस्तावेज के आधार पर क्रेता को कोई अधिकार नही होते हुए भी अपीलार्थी प्रार्थी के आवेदन पत्र को खारीज करने मे वैधानिक त्रुटि की है। फलतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने मुख्य रूप से उन्ही तथ्यो का उल्लेख किया जो कि अपील मे वर्णित है। उनका कथन है कि अस्थायी निषेधाज्ञा सम्बन्धित सभी तीन कारक अपीलान्ट के हक मे है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध निर्णय पारित करते हुए उनके प्रतिकूल निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त राजस्व रिकार्ड, कब्जा तथा अन्य समस्त परिस्थतियो को देखकर रेस्पोडेन्ट के हक मे निर्णय पारित किया गया है। विस्तृत निर्णय मे प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय

क्षति रेस्पोडेन्ट के हक मे पाये जाने के कारण स्थायी निषेधाज्ञा का ताफैसला वाद निर्णय पारित कर दिया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही हुई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उल्लेखित तीनो कारको का विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित नही किया गया है। ऐसी परिस्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 27/04/2016 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण पुनः सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ